पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 302/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 26.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01-थाना तरवां, आजमगढ़ : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक- 04.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से शिकायत किया गया था कि अभियुक्त सुनिल पुत्र रामनवल शर्मा सा0 गंगापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को लगभग 6 वर्षो से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा वादिनी द्वारा शादी के लिये कहने पर झांसा देकर दुबई चला गया। वादिनी अभियुक्त के घर गयी तो अभियुक्त की मां और बहन ने मारपीट कर घर से निकाल दिया जिसके सम्बन्ध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 104/24 धारा 376, 506 भादवि0 बनाम 1. सुनिल पुत्र रामनवल शर्मा, 2. लालमनी देवी पत्नी रामनवल शर्मा, 3. लक्ष्मी पुत्री रामनवल शर्मा समस्त निवासी गंगापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष तरवां द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा महिला सम्बन्धित अपराधों को तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील शर्मा पुत्र रामनवल शर्मा निवासी गंगापुर थाना विलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष को ग्राम रोशनपुर मोड से समय करीब 9:00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, हे0का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 सौरव सिंह, का0 महेश यादव थाना तरवां जनपदआजमगढ़।

02-थाना सरायमीर, आजमगढ़ : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा मे

अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.2024 को वादिनी मुकदमा थाना सरायमीर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि 01 बाल अपचारी ने वादिनी को शादी का झांसा देकर 03-04 महीने तक दुष्कर्म किया तथा वादिनी का फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 497/24 धारा 69, 352, 351(2) बीएनएस, 3/4 पाक्सो एक्ट व 67(बी) आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने का विवरण– पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा महिला सम्बन्धित अपराधों को तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह (शादे वस्त्रों मे) मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को 01 मोबाइल फोन के साथ नोनारी बाजार से समय करीब 07:20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 सागर सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़।

03-थाना अहरौला, आजमगढ़ : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना अहरौला पर तहरीर दिया गया कि वादिनी की बहन का देवर अजय वक्श पुत्र विजय बहादुर बक्श ग्राम गोसिया मऊ पोस्ट थलवारा तहसील हैदरगढ़ थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा दूसरी शादी कर लिया तथा वादिनी के गर्वभावती हो जाने पर धमकी दे रहा है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 409/2024 धारा 376(2)N, 506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष अहरौला मनीष पाल द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा महिला सम्बन्धित अपराधों को तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को थानाध्यक्ष अहरौला मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय वक्श पुत्र विजय बहादुर बक्श ग्राम गोसिया मऊ पोस्ट थलवारा तहसील हैदरगढ़ थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी उम्र 24 वर्ष को मड़ना नहर तिराहा से समय करीब 10:00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष मनीष पाल, का0 विशाल सोनकर, का0 उमेश गौड़ व म0का0 आभा दूबे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

04-थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.07.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बिलरियागंज पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त साहिल पुत्र शमशाद ग्राम असाढ़ा पोस्ट नन्दाव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 247/24 धारा 376/504/ 506 भा0द0वि0 पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा महिला सम्बन्धित अपराधों को तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त साहिल पुत्र शमशाद ग्राम असाढ़ा पोस्ट नन्दाव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को श्रीनगर सियरहा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नीचे से समय करीब 11: 00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद, का0 राजेश यादव, का0 अभिषेक तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

05-थाना फूलपुर, आजमगढ़ : 05.50 ग्राम मादक पदार्थ (हेरोइन कीमत करीब 55000/-) के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा मादक पदार्थो का उत्पादन, तस्करी व बिक्री के करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 26-09-2024 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह क्षेत्रभ्रमण के दौरान अभियुक्त अरुण यादव पुत्र बाबूराम यादव ग्राम कासिमपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग **43** वर्ष को ग्राम पलिया माफी से 36 पुडिया (5.05 ग्राम हिरोईन) के साथ समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फूलपुर पर मु**0**अ**0**सं**0**- 493/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1-मु**0**अ**0**सं**0** 271/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ।

2-मु**0**अ**0**सं**0** 493/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रज्जन द्विवेदी, का**0** इरशाद अंसार, का**0** अरविंद कुमार, का**0** रजनीश कुमार, का**0** अनुपम सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

06-थाना पवई, आजमगढ़ : दहेज के लिये प्रताडित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2024 को वादी मुकदमा करन पाल पुत्र स्व0 मन्नूपाल निवासी ग्राम प्रतापपुर कला थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना पवई पर तहरीर दिया गया था कि वादी की बहन को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताडित किया। दिनांक 18.09.2024 की रात में उसकी सास व पति द्वारा गाली गलौज देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा गया जिससे वादी की बहन बेहोश हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-319/24 धारा 115(2), 352, 351(2), 110, 85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा महिला सम्बन्धित अपराधों को तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को उ0नि0 मनीष मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय पाल पुत्र सत्यदेव पाल निवासी ग्राम भुलेसरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को भुलेसरा रोड से समय करीब 13:50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 मनीष मिश्रा, का0 सुरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।